झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

—:: अधिसूचना ::—

राँची / दिनांक—

सं०सं०—10 / सा०अव०—03—01 / 2024 का०— / लोकसभा आम चुनाव, 2024 एवं 31—गाण्डेय विधान सभा उप चुनाव, 2024 के अवसर पर झारखण्ड राज्य में अवस्थित सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 31—गाण्डेय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—135ख के निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है:—

"1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित कियाजाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती।

3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।"

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचक जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी हैं, जिनमें शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जहाँ लोकसभा के आम चुनाव और उप चुनाव आयोजित होने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, वह सामान्य मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत या नियोजित हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्य करने वाले श्रमिक मतदाता भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख(1) के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे। दैनिक वेतनभोगी / अनौपचारिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० / —

(आसिफ हसन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—10 / सा०अव०—03—01 / 2024 का० 2492 / **राँची / दिनांक—** 04/04/2024

प्रतिलिपि—नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई—गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

04/04/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

ARD/131/2024